न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 54/2018

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2018/00474

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. नन्द कँवर पत्नी पाबुसिंह पुत्री ईश्वर सिंह जाति राजपूत निवासी चौकी खेडा, शिवरती जिला भीलवाडा (राज.)		1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार सोजत, जिला पाली। 2. पुष्पाकँवर पत्नी भंवरसिंह पुत्री चैनकंवर जाति राजपूत निवासी खारा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द। 3. स्व. रामसिंह पुत्र अमरसिंह के कायम मुकाम 3/1 शम्भुसिंह पुत्र रामसिंह 3/2 चैनसिंह पुत्र रामसिंह 3/3 गोपालसिंह पुत्र रामसिंह जतिगण राजपूत निवासीगण भैसाणा, तहसील सोजत जिला पाली 4. स्व. खेतसिंह पुत्र अमरसिंह के कायम मुकाम 4/1 भैरूसिंह पुत्र स्व खेतसिंह 4/2 दरियाव कँवर पत्नी खेतसिंह 5. स्व. मेहताबसिंह पुत्र अमरसिंह के कायम मुकम 5/1 हिम्मतसिंह पुत्र मेहताबसिंह

"अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956"

उपस्थित :–

1. अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद शरीफ काजी।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

–: निर्णय :–

दिनांकः– 28/03/2025

अपीलाण्ट् की ओर से अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत नायब तहसीलदार सोजत द्वारा स्वीकृत ग्राम भैसाणा के नामान्तरकरण संख्या 16 दिनांक 21.05.1981 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र

अति० जिला कलेक्टर, पाली

पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से 5 बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से अधिवक्ता अपीलाण्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने दौराने बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम भैसाणा तहसील सोजत जिला पाली के खसरा संख्या 409, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418 कुल रकबा 24.86 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है, जिसमें पारस कवंर बेवा ईश्वरसिंह की सहखातेदारी की बहिस्सा 1/12 स्थित है। अपीलाण्ट पारस कवंर की जाईन्दा पुत्री है। अपीलाण्ट की शादी सीवरती महाडा भीलवाडा में हुई थी तथा अपीलाण्ट की बहन का देहान्त हो चुका है, जिसका नाम भंवरकंवर था। पारस कंवर के देहान्त के बाद अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही रेस्पोडण्ट संख्या 1 ने फर्जी तरीके से चैनकंवर को ईश्वरसिंह की पत्नी बताकर विधिविरूद्ध तरीके से जैर नामान्तरकरण स्वीकृत किया। मातहत अदालत ने प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित अपीलाधनी आदेश जारी किया, इसलिये जैर नामान्तरकरण को खारिज फरमावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों, मूल नामान्तरकरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत नायब तहसीलदार सोजत द्वारा स्वीकृत ग्राम भैसाणा के नामान्तरकरण संख्या 16 दिनांक 21.05.1981 के विरूद्ध पेश की है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण में सर्वप्रथम हम अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र के निर्णय में उचित समझते है कि उक्त आवेदन व शपथ पत्र अखंडित है। प्रकरण में अपीलाण्ट्स का पारस कवंर की पुत्री होने का तथ्य व्यक्त रूप से स्वीकृत है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अनुसार पुत्री का भी प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी होना बनता है। नामान्तरकरण से अपीलाण्ट के हक अधिकार प्रभावित होते है तथा जहां किसी व्यक्ति के हक अधिकारों का प्रश्न हो, वहां पर म्याद का बिन्दु गौण हो जाता है। तद्नुसार उसे अपने हक अधिकारों से वंचित किये जाने का नामान्तरकरण प्रथम–दृष्ट्या विधि विरूद्ध है जिससे प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र को अखंडित मानते हुए म्याद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने दौराने बहस मुख्य रूप से यह उज्र किया कि अपीलाण्ट्स के माता की ग्राम भैसाणा तहसील सोजत जिला पाली में कृषि भूमि आई हुई है, जिसके खसरा संख्या 409, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418 कुल रकबा

अति॰ जिला कलेक्टर, पाली

24.86 हैक्टेयर है। पारस कंवर फौत हो जाने पर जैर आराजी का फौतेदगी नामान्तरकरण चैनकंवर के पक्ष में स्वीकृत किया गया। नामान्तरकरण की फर्द पर अंकितानुसार "पारसकंवर फौत व ईश्वरसिंह द्वारा पुनः शादी करके चैन कंवर को अपनी पत्नी स्वीकार किया चूंकी ईश्वरसिंह स्वयं फौत हो चुका है तथा जाइन्दा वारिस नहीं होने से चैन कवंर के नाम म्युटेशन भरा।" अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार अपीलाण्ट के पिता ईश्वर सिंह थे तथा नामान्तरकरण पर अंकित नोट से स्पष्ट है कि ईश्वर सिंह की पत्नी पारस कवंर थी, साथ ही रेस्पोडेण्ट के द्वारा भी इस बात का खण्डन नहीं किया गया की अपीलाण्ट, पारस कंवर की पुत्री न हो। जिससे यह जाहिर है कि अपीलाण्ट पारस कंवर की पुत्री होने से जैर आराजी में हक अधिकार रखती है।

हस्तगत प्रकरण में पहले विवाह से उत्पन्न संतान का संपत्ति में अधिकार (दूसरी शादी के बाद) के सम्बन्ध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 व 10 के अनुसार पहले विवाह से हुए बच्चे Class I Heirs है, और उन्हें बराबर हिस्सा मिलेगा तथा न्यायिक दृष्टान्त AIR 1992 Delhi 21 Jagdish chand sharma vs Narain Dass के अनुसार "पहली पत्नी से जन्में बच्चे, चाहे वे उनके साथ न रहे हों, फिर भी कानूनी रूप से संपत्ति के बराबर के वारिस हैं।" जिससे यह सुस्पष्ट है कि अपीलाण्ट, जो कि पारस कंवर की पुत्री है वह जैर आराजी में बराबर हिस्से का हक अधिकार रखती हैं। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 के अन्तर्गत किसी हिन्दु के निर्वसीयती मृत्यु होने पर उनके प्रथम श्रेणी के वारिसान में उनकी पुत्रियां भी शामिल होती है परन्तु इस प्रकरण में मृतक पारस कंवर की विरासत में उसकी पुत्री को वंचित किया जाना स्पष्ट प्रतीत होता है। स्पष्टतया यह प्रकरण विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विरूद्ध है तथा जैर नामान्तकरण निरस्त किये जाने का प्राथमिक आधार है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार सोजत द्वारा स्वीकृत ग्राम भैसाणा के नामान्तरकरण संख्या 16 दिनांक 21.05.1981 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, तहसीलदार सोजत को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर हमारे उपरोक्त प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुये दस्तावेज/साक्ष्य की जांच कर नव सरे विधिनुसार निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 28/03/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली